... जा. इत्तला होकर
पत्रावली आइन्दा 11/5/23 को पेश हो।

17/04/23

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। तामील रिपोर्ट प्राप्त। शामिल पत्रावली की गई। विपक्षीगण अनुपस्थित। आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण से बहस सुनी। फैसला अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

रण संख्या :– 196/2022

प्रार्थीगण

1. शंभूसिंह वल्द मेहरसिंह
2. समतसिंह वल्द मेहरसिंह
   कौम राजपूत साकिन आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी
2. चेनीदेवी पत्नी नररसीराम
3. तारीदेवी पत्नी सांवलाराम
   कौम कुम्हार साकिन आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते लट्ठा ट्रेस में खसरा दुरस्त करने बाबत्

उपस्थित : श्री चिमनसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 17.04.23

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् लट्ठा नक्शा में खसरा नम्बर दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा आलपुरा में खेत खसरा संख्या 258 रकबा 2.4038 हैक्टेयर किस्म बा.सो. की आई हुई है। प्रार्थीगण द्वारा यह भूमि जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के वालिद व पूर्व पुरूष गणेशा वल्द पन्ना समय मूल खातेदार था मूल खसरा संख्या 258 में से दिनांक 13.10.1987 को क्रय की गई थी, जरिये नामान्तरण संख्या 295 प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 258/1 दिये गये जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त वक्त खरीद से चला आ रहा है। परिशिष्ठ–अ के अनुसार खसरा नम्बर 258/1 की भूमि परं प्रार्थीगण की काश्त, रहवासी ढाणी, कृषि कुए एवं पशुओं के वाडे बने हुए हैं। वर्तमान में ऑन लाईन सेग्रीगेशन के समय मूल लट्ठा एवं खसरा नम्बरी में तरमीम पुख्ता करते समय प्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 258 एवं मूल खातेदार के नाम खसरा नम्बर 258/1 दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व लट्ठा ट्रेस में दर्ज खसरा नम्बर में भिन्नता की जानकारी होने पर राजस्व कार्मिकों द्वारा उक्त कलमीय भूल सुधार हेतु दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक 437 दिनांक 09.03.2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा खसरा नम्बर 258 रकबा 29–14 बीघा में से 1/2 हिस्सा बेचान दस्तावेज संख्या 472/1987 दिनांक 13.10.1987 को कय की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद की गयी। उक्त खसरे के खातेदारों द्वारा सहमति विभाजन प्रस्ताव में पारित तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश कमांक 1097 दिनांक 15.12.2010 के द्वारा खसरे का अपने–अपने काश्त अनुसार कवभाजन कर दिया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 1186 स्वीकृति दिनांक 14.06.2011 से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इस नामान्तरकरण की पुश्त पर विभाजित खसरों के नम्बर अंकित हैं, किन्तु राजस्व लट्ठा ट्रेस में तरमीम करते वक्त खसरा नम्बर 258 के स्थान पर 258/1 व खसरा नम्बर 258/1 के स्थान पर 258 दर्ज कर दिया जो बदस्तूर चला आ रहा है। मौके पर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण का कब्जा काश्त अनुसार उक्त विभाजन आदेश के अनुसार है। दुरूस्ती हेतु सभी खातेदार सहमत हैं। दुरुस्ती किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित खसरा नम्बर व विभाजन के नामान्तरण की पुश्त पर अंकित खसरों के नम्बरों भिन्नता है तथा सभी खातेदारों ने कब्जा काश्त अनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव लट्ठा ट्रेस में खसरा नम्बर दुरूस्त करने की सहमति दी है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी की अनुशंषा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक 437 दिनांक 09.03.2023 द्वारा प्रस्तावित मौजा आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 258 के स्थान पर 258/1 एवं 258/1 के स्थान पर 258 लट्ठा ट्रेस में जमाबन्दी में अंकित रकबे की सीमा तक शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक 437 दिनांक 09.03.2023 मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी